


राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: लेखा-12(प्रोग्राम)/आं.जां./2019/ 2607 दिनांक: 14/8/19

—:आन्तरिक अंकेक्षण संशोधन कार्यक्रम आदेश:—

कार्यालय के आदेश क्रमांक 1174-87 दिनांक 24.06.2019 से जारी आन्तरिक अंकेक्षण कार्यक्रम में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है:-

क्र० सं०	अंकेक्षण दल प्रभारी/ सदस्य व जोन का नाम	कार्यालय जिसका अंकेक्षण किया जाना है	आन्तरिक अंकेक्षण अवधि	आदेशित कार्यक्रम	संशोधित कार्यक्रम
1	श्री उत्तम चन्द, AAO I मो० नं० 9252240736 दल सदस्य रश्मि जोनवाल, क० लेखाकार कोटा-प्रथम दल	चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा	04/16 से 03/19	15.07.19 से 14.08.19	15.07.19 से 30.09.19
2	श्री गुलाबचन्द कुम्हार, (अतिरिक्त प्रभार) AAO I मो० नं० 9414605185 दल सदस्य श्री संजय कुमार मेघवाल, विजयलक्ष्मी, क० लेखाकार जोन-बीकानेर द्वितीय	सामु. स्वा. केन्द्र, नोखा, बीकानेर	04/14 से 03/19	26.07.19 से 07.08.19	26.07.19 से 09.08.19
3	श्री लक्ष्मण सिंह राजपूत, AAO I मो० जोन-कोटा।	बीसीएमओ, छबड़ा, बारा	04/16 से 03/19	26.07.19 से 19.08.19	26.07.19 से 14.08.19
		बीसीएमओ, छीपाबड़ोद, बारा	04/15 से 03/19	16.08.19 से 30.08.19	

अतः निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प-6(10) वित्त/अंकेक्षण/2015 दिनांक 13.07.2017 के द्वारा जारी आदेशों में दिये गये निर्देशानुसार अंकेक्षण कार्य निर्धारित अवधि में सम्पादित कर जांच रिपोर्ट निर्धारित समय पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवायेंगे।



उप. वित्तीय सलाहकार,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: लेखा-12(प्रोग्राम)/आं.जां.का./2019/

दिनांक:

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक (जन स्वा०), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
2. निदेशक (वित्त) एनएचएम राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-कोटा/बीकानेर।
4. श्री उत्तम चन्द कुम्हार, AAO I, श्रीमती रश्मि जोनवाल, क० लेखाकार, जोन-बीकानेर को पालनार्थ।
5. श्री लक्ष्मण सिंह राजपूत, AAO I, जोन-कोटा को पालनार्थ।
6. श्री गुलाब चन्द कुम्हार, AAO I, श्री संजय कुमार मेघवाल, श्रीमती विजयलक्ष्मी, क० लेखाकार, जोन-बीकानेर को पालनार्थ।
7. चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा।
8. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, छबड़ा/छीपाबड़ोद (बारा)।
9. चि० अधिकारी प्रभारी, सामु० स्वा० केन्द्र, नोखा (बीकानेर)।
10. प्रभारी सर्वर रूम को दी जाकर लेख है कि इस आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।


उप. वित्तीय सलाहकार,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर